—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 118/2023

उनवान

कीर्ति पत्नी गणपत सिंह जाति गुर्जर निवासी 151/15 पाल बिचला अजमेर
—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री गोवर्धन गुर्जर

बनाम

1. हेमलता पुत्री हनुमंत सिंह, जाति गुर्जर निवासी ग्राम पावटा, जोधपुर
2. कमलेश पत्नी नरेन्द्र सिंह
3. जय सिह पुत्र नरेन्द्र सिंह
4. यशवन्त सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह समस्त जाति गुर्जर निवासी बाघसुरी, नसीराबाद
5. कमला पुत्री हजारी,
6. सुरजकरण पुत्र हजारी
7. सांवरा पुत्र हजारी, समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद
8. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— अप्रार्थीगण :— 5 से 7 जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
8 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

दिनांक :— 29.10.24

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 1878/4451 रकबा 1.16, 1879 रकबा 0.31, 1893/0.15 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है, उक्त आराजी पर प्रार्थी कदीम से काबिज काश्त है। उक्त आराजी के सीमाज्ञान करवाने पर अप्रार्थीगण ने दखलदांजी करते हुये नियमानुसार पत्थरगढाई कराने की बात कही। अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी आराजी को हडपने के लिये आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा की पतथरगढाई करायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 5 से 7 ने जवाब मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व जवाबकर्ता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1878/4520 के मध्य 1878/4452 सिवायचक रास्ता है। सिवायचक भूमि का रकबा प्रार्थी के खेतों में अधिक कर दिया तथा जवाबकर्ता की भूमि का रकबा कम कर दिया। खसरा नमबर 1878/4520 की भूमि का रकबा हाल खसरा नम्बर 1878/4452 में गलत मौके पर अधिक अंकन होकर नक्शों में प्रार्थी के खेत की तरफ अंकन नही कर अप्रार्थी संख्या 5 से 7 की भूमि की तरफ क[illegible] अतः हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज [illegible] जावे।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.04.04 10:57:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बाघसुरी हाल खसरा नम्बर 1878/4451 रकबा 1.16, 1879 रकबा 0.31, 1893/0.15 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 1878/4520 अप्रार्थी संख्या 5 से 7 की खातेदारी की है। खसरा नम्बर 1878/4452 रकबा 0.35 सिवायचक है। प्रार्थी आराजी मुतनाजा की पत्थरगढाई करवाना चाहता है जिस बाबत उसके द्वारा सीमाज्ञान के लिये पूर्व में आवेदन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दिनांक 16.02.23 के मौका पर्चा अनुसार सीमाज्ञान से प्रार्थी असंतुष्ट हुये है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 03.07.23 के अनुसार मौके पर विवाद की स्थिति है। अप्रार्थी संख्या 5 से 7 ने हाल राजस्व मानचित्र को त्रुटिपूर्ण बताते हुये उसकी दुरूस्ती के लिये निवेदन किया है। हाल खसरा नम्बर 1878/4452 सिवायचक है, जो राजस्व मानचित्र में रास्ते की तरह अंकत है। उक्त खसरा नम्बर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 से 7 की खातेदारी के मध्य में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 5 से 7 का कथन है कि उसकी खातेदारी आराजी का रकबा कम कर दिया तथा उक्त रास्ते की भूमि का रकबा प्रार्थी की खातेदारी आजी में मिला दिया गया है। पूर्व में प्रार्थी के खसरा नम्बर 1878/4451, सिवायचक खसरा नम्बर 1878/4452 व अप्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 1878/4520 का वंर्किग खसरा नम्बर 3237 एक चक के रूप में स्थित था। बंदोबस्त विभाग ने मौक स्थिति अनुसार उक्त आराजी को अलग-अलग खसरा नम्बर में अंकित किया है। जमाबंदी में प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा सही है। किन्तु राजस्व मानचित्र में वंर्किग खसरा नमबर 3237 के अलग खसरा नम्बर अंकित करने से खसरा की सिथति में परिवर्तन से इंकार नही किया जा सकता है। राजस्व मानचित्र में त्रुटि दुरूस्त किये बिना आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी के आदेश पारित करने से मोके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार ही किया जा सकता है। आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने के बाद पत्थरगढी किये जाने से उभयपक्ष के मध्य विवाद को समाप्त किया जा सकता है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रति प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्व मानचित्र दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी संख्या 5 से 7 का प्रति प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 1878/4451 रकबा 1.16, 1879 रकबा 0.31, 1893/0.15, 1878/4520 1.62 व 1878/4452 रकबा 0.35 की मौका व पूर्व राजस्व मानचित्र की जॉच कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त कर उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.04.04 10:57:00 IST
Reason: SelfAttested